(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2609–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 156/2013–14/अपील.

1– कृष्णकान्त पिता गांगाराम
2– राजेश पिता गंगाराम
निवासीगण ग्राम गुलवा
तहसील व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– बृजलाल पिता चम्पालाल
2– जगन्नाथ पिता चम्पालाल (फौत) वारिसान
अ– रेशमबाई पति जगन्नाथ
ब– संजय पिता जगन्नाथ
3– सावंत पिता कान्हा (फौत) वारिसान
अ– बोंदर पिता सावंत
ब– कावेरीबाई पति सावंत
स– धापूबाई पति बोंदर
निवासीगण ग्राम गुलवा
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/2/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 156/2013–14/अपील दर्ज कर दिनांक 25–6–15 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदकगण द्वारा जिस भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, उसी भूमि के सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया

था, जिसमें चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, धार द्वारा दिनांक 18–9–2014 को आदेश पारित कर वाद निरस्त किया गया है । अतः अपील अर्थहीन हो चुकी है, निरस्त की गई । अपर आयुक्त इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण एवं बटवारा दोनों आदेश एकसाथ पारित किये गये हैं, जबकि नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण एवं बटवारा आदेश एकसाथ पारित नहीं किये जा सकते हैं । इस तर्क के समर्थन में 1995 आर.एन. 85 एवं 1994 आर.एन. 102 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये । यह आधार भी लिया गया है कि व्यवहार न्यायालय का आदेश वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती देने योग्य है, अभी अन्तिम नहीं हुआ है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील अर्थहीन मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है । लिखित तर्क में यह आधार भी लिया गया है कि संहिता की धारा 8 के अन्तर्गत इस न्यायालय में मुजब सुपर विजन पावर है, अतः इस न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 1958 आर.एन. 420 एवं ए.आई.आर. 1954 सुप्रीम कोर्ट 430 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पिता गंगाराम की अनुपस्थिति में कार्यवाही की गई है । अतः तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी आवेदकगण को नहीं होना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को गंगाराम के पुत्रों आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानकर गुण–दोष के आधार पर अपील का निराकरण किया जाना चाहिए था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर नहीं कर, समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर आदेश पारित कर आवेदकगण की अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । वैसे भी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न

है, उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश के आधार पर अपील निरस्त की गई है, व्यवहार न्यायालय का उक्त आदेश प्रकरण में संलग्न नहीं है, जबकि अपर आयुक्त को प्रथमतः समयावधि के बिन्दु पर विचार करना चाहिए था । प्रकरण में पंजी कमांक 32 आदेश दिनांक 27–3–83 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने पंजी पर असमान बटवारा बिना गंगाराम को सुने किया गया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार ने बटवारा नियमों का कोई पालन नहीं किया है । अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 27–3–83 भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है । इस प्रकरण में यह न्यायिक एवं विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि अनुसार बटवारे की कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–15, अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 तथा तहसीलदार, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–83 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर